



भारत में ग्रामीण बैंकों की भूमिका और प्रदर्शन

डॉ० हंसा लुनायच

सह आचार्य— भूगोल विभाग, राजकीय कन्ना महाविद्यालय, चौमू—जयपुर, (उठप्र) भारत

भारतीय वित्तीय क्षेत्र में, ग्रामीण बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पष्ट रूप से पूर्व-प्रतिष्ठित नहीं है। भारत में 87,000 बैंक शाखाओं में ग्रामीण बैंकों के 28 प्रतिशत योगदान की तुलना में ग्रामीण। अर्थ—शहरी बैंकिंग नेटवर्क के लिए वाणिज्यिक बैंकों का योगदान कहीं अधिक (कुल का 38 प्रतिशत) है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वाणिज्यिक बैंकों के स्पष्ट महत्व के बावजूद वे आबादी के सबसे गरीब वर्गों की सेवा करने में सक्षम नहीं हैं। तुलनात्मक रूप से, वित्तीय समावेशन के लिए प्रासंगिकता की क्रेडिट श्रेणियों में, आरआरबी के पास कृषि ऋण खातों का 26.2 प्रतिशत और सभी कारीगरों। छोटे उद्योग ऋण खातों में 55.0 प्रतिशत है। इन श्रेणियों के तहत उपलब्ध कुल क्रेडिट का अनुपात बहुत कम है — केवल 10.9 प्रतिशत और क्रमशः 11.0 प्रतिशत —RRB ऋण आकार इन दोनों श्रेणियों के लिए औसत 25,000 रुपये और 13,000 रुपये, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की गई पेशकश की तुलना में बहुत कम है। किर भी, यह वास्तव में, यह तथ्य है कि ग्रामीण बैंकों के महत्व को दर्शाता है अन्यथा जनसंख्या के आर्थिक रूप से बहिष्कृत वर्गों के लिए।

कम आय वाले परिवारों के पास आबादी से बेहतर बंद वर्गों की तुलना में कम पूर्ण निरेक्षण और आनुपातिक आवश्यकता है, जो किसी भी मामले में, वाणिज्यिक बैंकों तक पहुंच बनाने में बेहतर है। सहकारी समितियों के लिए समान डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमानित 130 मिलियन सदस्यों के साथ सहकारी समितियों के साथ बकाया औसत ऋण केवल 9,000 रुपये प्रति सदस्य से अधिक है, जो निम्न आय वाले परिवारों की जरूरतों के लिए उपयुक्ता पर जोर देता है। साथ में, ग्रामीण बैंक मार्च 2007 में 81.7 प्रतिशत का क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात दर्ज करते हैं, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए 76.1 प्रतिशत के औसत से कुछ अधिक है। ग्रामीण बैंकों ने, कई वर्षों तक, भारत में बैंकिंग प्रणाली का सौंतेला बच्चा माना है। दोनों प्रकार के ग्रामीण बैंक अपने कार्यों में व्यापक हस्तक्षेप के अधीन रहे हैं, सरकारी सब्सिडी को राजनीतिक संरक्षण के साधन के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सहकारी ऋण प्रणाली और आरआरबी दोनों को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और 1990 के दशक की शुरुआत में लगभग अपांग हो गए थे, उस समय पूँजी के पर्याप्त इंजेक्शन की जरूरत थी। हाल के वर्षों में ऐसे बैंकों का प्रदर्शन हालांकि कुछ बेहतर रहा है।

इस प्रकार, 85 प्रतिशत आरआरबी और लगभग 75 प्रतिशत सहकारी बैंक अब सालाना आधार पर लाभदायक हैं। हालांकि अब एक साथ लिए गए सभी आरआरबी नियमित रूप से लाभ दर्ज करते हैं, लेकिन डीसीसीबी का प्रदर्शन एक साल से अगले साल तक ठीक होने से पहले महत्वपूर्ण संख्या में गिरावट के साथ अनिश्चित है। मार्च 2003 में, 367 DCB में से 144 ने अपनी नेट वर्थ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और साथ ही साथ रु 3,100 करोड़ के डिपॉजिट को भी नष्ट कर दिया था। आरआरबी ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न व्यापारिक संकेतकों पर प्रभावशाली प्रगति की है। उदाहरण के लिए, आरआरबी की जमा राशि 18 गुना और 1980 और 1990 के बीच 13 गुना बढ़ गई है। 1990 और 2004 के बीच, क्रमशः 14 गुना और 7 गुना तक जमा और अग्रिम में वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 और 2004 के बीच, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में सुधार के लिए बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाते हुए आरआरबी द्वारा वितरित ऋण दोगुने से अधिक हो गए। मार्च 1990 में प्रति शाखा अग्रिम भी रु 25 लाख से बढ़कर मार्च 2003 में रु 54 लाख हो गया। जब कोई संसाधनों की लामबंदी के सापेक्ष ऋण की तैनाती पर विचार करता है, तो आरआरबी का ऋण—जमा (सीडी) अनुपात अधिक था 1987 तक अपने संचालन के पहले दशक के दौरान 100 प्रतिशत से अधिक। हालांकि बाद में सीडी अनुपात कम हो गया, देर से, यह एक सुधार दिखाया गया है और मार्च 2000 में लगभग 39 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 में 44.5 प्रतिशत हो गया है।

RRBs के प्रदर्शन के प्रमुख कारक— संचालन का सीमित क्षेत्र: व्यावसायिक गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला और ग्राहकों के छोटे आधार के साथ जो उच्च कोवरेण्ट जोखिम का नेतृत्व करते हैं। छोटे ग्राहकों पर ध्यान दें: जैसे कि छोटे और सीमांत किसान, छोटे परिवहन ऑपरेटर, छोटे और सूक्ष्म—उद्यम और स्वयं सहायता समूह जिनकी सीमित ऋण आवश्यकताएं हैं, जिससे बड़ी, उच्च आय से थोक आय अर्जित करना असंभव हो जाता है, जैसे मुख्य ग्राहक समूह को ऋण देने वाले क्रॉस—सब्सिडी के उधारकर्ता। सामाजिक नीति के एक साधन के रूप में धारणा: व्यवहार्यता संबंधी विचारों के बिना, जबकि वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने का दबाव था, जिसके परिणामस्वरूप असमान वृद्धि हुई थी एक पूँजी आधार जो उनके व्यापार की मात्रा के लिए बहुत कम है: एक गंभीर विवेकपूर्ण खतरे में जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों करोड़ रुपये जमा पूँजी



के केवल 1 करोड़ रुपये से कम थे।

छोटी संगठनात्मक संरचना और सीमित वित्तीय संपत्ति— ग्रामीण वित्तीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा जुटाने के रास्ते में आने वाली बैंधा जिससे वित्तीय सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करना मुश्किल हो जाता है, जिससे बड़े जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं को हतोत्साहित किया जाता है।

उच्च ऋण में कमी— राज्य द्वारा निर्देशित ऋण के लिए उनके उपयोग से परिणाम कई छोटे खातों की सर्विसिंग की उच्च लागतः जबकि नाबार्ड और प्रायोजक बैंकों से फंड की व्याज लागत बाजार दरों से अधिक थी, लेकिन ग्राहकों को लगाए गए व्याज की दरों को प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक बैंकों के अनुरूप रखा जाना था।

खराब वित्तीय कौशल— प्रायोजक बैंकों के साथ बड़ी मात्रा में संसाधनों और पार्किंग के अक्षम आवंटन के परिणामस्वरूप। प्रायोजक बैंकों के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव होता है जो एक ही क्षेत्रों में संचालित होता है लेकिन अपने आरआरबी के वित्तीय और व्यावसायिक पहल के लिए जिम्मेदार है।

प्रबंधन में व्यावसायिकता का अभाव— चूंकि वरिष्ठ प्रबंधकों (अध्यक्षों सहित) को प्रायोजक बैंक के सेवारत अधिकारियों से बाहर नियुक्त किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रायोजक निर्णय लेने में देरी के साथ छोटे मामलों के संदर्भ में प्रायोजक बन जाते हैं।

कुशल कर्मचारियों की कमी— ग्रामीण क्षेत्र की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुचित प्रशिक्षण और नए उत्पादों और विकास गतिविधियों के संपर्क में कमी। भर्तियों पर प्रतिबंध से उत्पन्न एक वृद्ध स्टाफ प्रोफाइल ने स्थानीय मुद्दों और परिस्थितियों की अनदेखी करते हुए पूरे देश में संचालन और समान मानदंडों और नीतियों में दक्षता को बाधित किया है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल कम होता है विकास कार्यों में भागीदारी।

अनुचित वेतन संरचना— जिसे वाणिज्यिक बैंकों के उच्च वेतन के अनुरूप भी लाया गया था, क्योंकि आरआरबी को ग्रामीण आवादी के साथ पहचान करने के लिए अपने ग्रामीण स्वाद को बनाए रखना आवश्यक था, फिर भी उन्हें पालन करने की आवश्यकता थी।

प्रशासित व्याज दर शासन— वह उदास दर क्योंकि वे “कमजोर वर्गों” को उधार दे रहे थे और अभी तक जमा पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में थोड़ी अधिक दर का भुगतान करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे थे।

आरआरबी: वित्तीय क्षेत्र सुधार— भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के मदेनजर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के फोकस और संचालन में कई बदलाव हुए हैं और सरकार ने 1994-95 से आरआरबी की व्यावसायिक व्यवहार्यता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। इसलिए वर्ष 2006 में हुए सम्मेलन के बाद के प्रदर्शन का अध्ययन करना उचित माना गया है। आरआरबी की दक्षता और उसके प्रदर्शन का अध्ययन भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

1991-92 में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत के मदेनजर, आरआरबी की वाणिज्यिक व्यवहार्यता उनके सीमित व्यापार लंचीलेपन के कारण उनकी वांछित भूमिका के बारे में निर्णय लेने में सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी है, जिसमें विस्तार विविधीकरण, ऋणों के छोटे आकार के साथ कोई भी गुंजाइश नहीं थी। वित्तीय तैनाती में जोखिम-ग्रस्त अग्रिमों और पेशेवर दक्षता के लिए उच्च जोखिम के साथ। आरआरबी को मजबूत करने और उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई पहल की गई हैं। व्यापक पुनर्गठन कार्यक्रम के भाग के रूप में, आरआरबी का पुनर्पूजीकरण वर्ष 1994-95 में शुरू किया गया था। यह प्रक्रिया 1990-00 तक जारी रही और शेयरधारकों, अर्थात् भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों से 50:15:35 के अनुपात में कुल 1818 RRB को 1818.44 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ कवर किया गया। इसके अलावा, आरआरबी के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया गया है। नए मानदंडों के तहत, RRB की क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकार प्राप्त समितियों ने नई शाखाएँ खोलने के लिए RRB के आवेदन को स्पष्ट कर दिया है। आरआरबी की शाखाएँ संबंधित सरकारी प्राधिकरण और आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार का संचालन करने सहित सरकारी व्यवसाय कर सकती हैं। इन बैंकों को आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद जिन संस्थानों के प्रमुख बैंकर हैं, उनके परिसर में एक्सटेंशन काउंटर खोलने की अनुमति दी गई है। आरआरबी को शाखाओं में एटीएम की स्थापना के लिए आरबीआई की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और जिन काउंटरों के लिए वे आरबीआई द्वारा जारी किए गए लाइसेंस रखते हैं।

उन्हें लागत और लाभ का आकलन करने के बाद ऑफ-साइट एटीएम खोलने की भी अनुमति है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शाखाएँ खोलने की पूर्व की नीति के अनुसार, आरआरबी को अपनी अविभाज्य शाखाओं को विलय बंद करने की अनुमति दी गई है और वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरआरबी के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति लगभग बराबर है। अब आरआरबी भारत के ग्रामीण ऋण बाजार में वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आरआरबी कृषि और



ग्रामीण विकास के लिए ऋण देते हैं जबकि वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्य और उद्योग की जरूरतों को पूरा करते हैं। 2005-06 में, भारत सरकार ने व्यास समिति की सिफारिशों के अनुसार एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित तर्ते को समामेलित करके RRB के संरचनात्मक समेकन की प्रक्रिया शुरू की। बेहतर बुनियादी ढांचे, शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण, अनुभवी कार्यबल की पूलिंग, आम प्रचार, विपणन प्रयासों आदि के कारण समामेलित आरआरबी को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की उम्मीद थी और यह ऑपरेशन के एक बड़े क्षेत्र के लाभों को प्राप्त करता है, क्रेडिट जोखिम सीमा को बढ़ाता है।

अधिक विविध बैंकिंग गतिविधियाँ— समामेलन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2009 को आरआरबी की संख्या 196 से घटाकर 86 कर दी गई। इस प्रकार, समामेलन प्रक्रिया के तहत, 145 आरआरबी को 45 नए आरआरबी बनाने के लिए समामेलित किया गया है।

ग्रामीण ऋण की लागत कम करना— CRR और SLR के तहत एक अलग वितरण से ग्रामीण ऋण परियोजन के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इन ग्रामीण संस्थानों द्वारा आयोजित सीआरआर बैलेंस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर भी वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान की गई राशि से थोड़ी अधिक हो सकती है। इसी प्रकार, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को मांग जमा का सस्ता प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आरआरबी के साथ अपने ग्रामीण विकासात्मक कोष को पार्क करने की आवश्यकता है। बैंकिंग के संबंध में नियमन शहरी भारत में वितरण के लिए तैयार किया गया है और वितरण को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात करने के लिए अधिक जनशक्ति की आवश्यकता है। सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को अपनी स्थानीय क्षमता और चुनौतियों के अनुकूल विशेष वितरण की आवश्यकता होती है। भारत में आरआरबी की समग्र स्थिति काफी उत्साहजनक नहीं है। खराब क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात अभी भी आरआरबी के काम में सुधार पर सेंध लगा रहा है। चूंकि आरआरबी को गरीब लोगों के लिए एक बैंक माना जाता है, इसलिए देश के सभी राज्यों में विशेष रूप से अविकसित राज्यों में इसकी उपस्थिति चीजों को बेहतर बना सकती है। सरकार को वास्तव में जरूरतमंद ग्रामीण लोगों को ऐसी बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए आरआरबी की शाखाओं को जमीनी स्तर पर फैलाना चाहिए। इसके अलावा, बैंक प्रबंधन और प्रायोजित बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह बैंक के ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय करे जिससे ग्रामीण भारत में आरआरबी को प्रासंगिक बनाया जा सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में अद्यादेश के प्रावधानों के तहत 1975 में शुरू की गई थी और उसके बाद आरआरबी अधिनियम, 1976 की धारा 3 (1) के तहत आरआरबी की जारी पूँजी 148 केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार क्रमशः 50 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के अनुपात में। आरआरबी के बहुमत के संचालन का क्षेत्र एक अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है, जिसमें राज्य के कुछ जिले शामिल हैं। वर्ष 2005 में, एक राज्य द्वारा एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित RRBs के संरचनात्मक समेकन के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई थी। समामेलन के परिणामस्वरूप, 2006 के अनुसार 196 RRB को समामेलन के माध्यम से 133 तक कम कर दिया गया था और तिथि के अनुसार इसे और घटाकर 102 कर दिया गया है। समामेलित RRB कर्मचारियों के युक्तिकरण के लाभ को बढ़ाएगा, बड़े हुए पूँजी आधार पर अग्रिमों और निवेशों की मात्रा में वृद्धि और बड़े संसाधनों और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा, विस्ता स्वरूप, (2010) – भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – टकड वर्लग, दिल्ली
2. शेखर, हिमांशु, (1997) – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन इंडिया – राधा पब्लिशर्स, दिल्ली।
3. बैंकिंग साइंक्यिकी ट्रैमासिक (2011) –फाइनेंशियल एक्सप्रेस।
4. देवगीरीकर, ए.बी. (1997) –फाइनेंशियल सेक्टर रिपॉर्ट एंड आरआरबी, भारत में वित्तीय उदारीकरण नीति का प्रभाव, डॉ एम.एम. द्वारा संपादित जानी, हिमालयन पब्लिशिंग हाउस: नई दिल्ली।
5. तासी, काये, (2006) – आर्थिक विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका – पूर्वी बुक डिपो, नई दिल्ली।
6. ठाकुर, एस० (2005), भारतीय बैंकिंग के दो निर्णय: सेवा क्षेत्र का परिदृश्य, चाणक्य प्रकाशन नई दिल्ली, भारत।
7. अग्रवाल, आर० के० (2001) – क्षेत्रीय कार्यों का मूल्यांकन।
8. ग्रामीण बैंक – मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. कुमार, राज (2003) – आरआरबी में वृद्धि और प्रदर्शन
10. हरियाणा – अनमोल प्रकाशन, नई- दिल्ली।
